

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
विशेष सचिव,
उ.प्र.शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उ.प्र.,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 26 मई, 2010

विषय:- संयुक्त निबन्धकों को समयमान वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्रांक-747/49-2-2010-195/88-टीसी, दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा शासनादेश सं०-2131/12सी-2-195/88, दिनांक 21.08.89 के आंशिक संशोधन तथा शासनादेश सं०-1111/12सी-2-195/88, दिनांक 23.03.89, सं०-741/12सी-2-27 (12)/91, दिनांक 16.09.91 के क्रम में जारी शासनादेश 2946/12सी-2-1993/88, दिनांक 18.06.93 के संलग्नक के आंशिक संशोधन के क्रम सं०-23 के सम्मुख स्तम्भ-5 में उल्लिखित प्रविष्टियों को संशोधित कर दिये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में संयुक्त निबन्धकों के 24 (प्रतिनियुक्ति रिजर्व के 7 पद सहित) तथा उप निबन्धकों के 14 पद (प्रतिनियुक्ति रिजर्व के 5 पद सहित) को सम्मिलित करते हुए कुल 38 पदों का 15 प्रतिशत की गणना के अनुसार 06 बनते हैं।

उक्त 06 पदों पर कार्यरत संयुक्त निबन्धकों को वरिष्ठता क्रम में शासनादेश सं०-वे०-आ०-2-632/दस-62(एम)/2003 दिनांक 5.11.2009 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य वेतनमान रु० 12000-16000 के स्थान पर रु० 14300-18300 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में वेतन बैंड-4 रु० 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन रु० 8700.00 (पुराना वेतनमान रु० 4500-5700) निम्नलिखित संयुक्त निबन्धकों को नियमानुसार निम्न सारिणी के अनुसार स्वीकृत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	नाम अधिकारी	संयुक्त निबन्धक पद पर योगदान तिथि	समयमान वेतनमान अनुमन्यता की तिथि	अभ्युक्ति	
1	सर्वश्री:-	2	3	4	5
1-	हृदयराम चौरसिया	23.01.2006	23.01.2006	--	
2-	एस० के० त्रिपाठी	11.02.2006	11.02.2006	--	
3-	श्यामपाल सिंह	24.01.2006	24.01.2006	--	
4-	अशोक माथुर	23.01.2006	23.01.2006	--	
5-	दिमान सिंह (अनु०जा०)	23.01.2006	23.01.2006	दिनांक 31.08.08 को सेवानिवृत्त।	
6-	जी०डी० अग्रवाल	27.01.2006	27.01.2006	दिनांक 01.09.08 को मृत्यु।	

7-	डी०पी० पाठक	25.01.2006	01.09.2008	-
8-	रामहित गुप्ता	24.01.2006	02.09.2008	-

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि वेतन निर्धारण समयमान वेतनमान रू० 14300-18300 में प्राप्त वेतन से अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

भवदीय,
 (प्रेम नारायण)
 विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-894/(1)/49-2-2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- अपर निबन्धक (प्रशा०) सहकारी समितियां उ०प्र० लखनऊ।
- 3- संयुक्त निबन्धक, (प्रशा०) सहकारी समितियां उ०प्र० लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, सहकारी समितियां उ०प्र० लखनऊ।
- 5- सम्बन्धित अधिकारीगण।
- 6- वित्त (वेतन आयोग अनुभाग-2)
- 7- वित्त (व्यय नियन्त्रण अनुभाग-2)
- 8- निदेशक, अधिष्ठान, पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ
- 9- सम्बन्धित कोषागार।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
 (प्रेम नारायण)
 विशेष सचिव